इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.


# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 228] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 मई 2017—वैशाख 29, शक 1939


### नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 मई 2017

अधि. क्र. 68-एफ-1-30-2011-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 292-क, 292-ख और 292-ङ के साथ पठित धारा 433 तथा नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 339-क, 339-ख और 339-ङ के साथ पठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 में, खण्ड (ग), (घ) एवं (ज) में शब्द ''नगर पंचायत'' के स्थान पर, शब्द ''नगर परिषद्'' स्थापित किए जाएं;

2. नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''4. **रजिस्ट्रीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क.**—रजिस्ट्रीकरण शुल्क रुपये 50,000/- (पचास हजार रुपये केवल) और नवीनीकरण शुल्क रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये केवल) होगा, जिसे नगरपालिका कोष में जमा किया जाएगा तथा उसकी रसीद प्राप्त करनी होगी.''.

3. नियम 5 में, खण्ड (ग) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

''परन्तु यह कि कॉलोनाइजर रजिस्ट्रीकृत किया जा सकता है यदि वह इस संबंध में शपथ-पत्र देता है और यदि वह रजिस्ट्रीकरण की उक्त वर्णित धाराओं के अधीन दोषी होना साबित होता है तो उसका रजिस्ट्रीकरण निरस्त हो जाएगा.''.

4. नियम 7 क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"7 क. **विकास कार्य की लागत.**—कॉलोनी में आंतरिक एवं बाह्य विकास की लागत, विभाग द्वारा प्रकाशित दरों की समेकित मानक अनुसूची के अधीन प्रचलित दरों के आधार पर संगणित की जाएगी.".

5. नियम 8 में, उपनियम (2) में, खण्ड (एक), (दो), (तीन) एवं (चार) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| "(एक) | तीन लाख या अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र | रुपये 2,50,000/- प्रति हेक्टर |
| (दो) | तीन लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र | रुपये 1,00,000/- प्रति हेक्टर |
| (तीन) | नगरपालिका क्षेत्र | रुपये 50,000/- प्रति हेक्टर |
| (चार) | नगर परिषद् | रुपये 25,000/- प्रति हेक्टर.". |

6. नियम 9 में,—

(1) उपनियम (1) में,—

(क) खण्ड (क) का लोप किया जाए;

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द "प्रमाण पत्र" के स्थान पर, शब्द "अनुज्ञप्ति" स्थापित किया जाए.

(2) उपनियम (2) में, शब्द "पैंतालीस दिवस" तथा "नब्बे दिवस" के स्थान पर, शब्द "तीस दिवस" तथा "पैंतालीस दिवस" क्रमशः स्थापित किए जाएं.

7. नियम 10 में, उपनियम (8) में,—

(1) खण्ड (एक) में, शब्द तथा अंक "5 एकड़" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "2 हेक्टेयर" स्थापित किए जाएं.

(2) खण्ड (दो) में, शब्द तथा अंक "2.5 एकड़" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "1 हेक्टेयर" स्थापित किए जाएं.

8. नियम 12 में, खण्ड (नौ) में, शब्द "रुपये दस प्रति वर्ग मीटर" के स्थान पर, शब्द "रुपये पचास प्रति वर्ग मीटर" स्थापित किए जाएं.

9. नियम 14-ख में, उपनियम (3) में, शब्द "शपथ-पत्र" के स्थान पर, शब्द "बंधपत्र" स्थापित किया जाएं.

10. नियम 15 में, उपनियम (1) के पश्चात्, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु, यह कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवैध कॉलोनी बनाने का तथ्य संज्ञान में आने की तारीख से 90 दिनों के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.".

11. नियम 15 क में,—

(1) अंक और शब्द ''31 दिसम्बर, 2012'' के स्थान पर, अंक और शब्द ''31 दिसम्बर 2016 स्थापित किए जाएं.

(2) शब्द ''अनधिकृत'' जहां कहीं भी इन नियमों में आए हों के स्थान पर, शब्द ''अवैध'' स्थापित किया जाएं.

(3) उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी अवैध कॉलोनियां जो सरकारी भूमि से भिन्न तथा विकास प्राधिकरण की ऐसी भूमि हो जो उसके स्वामित्व में हो, जो 31 दिसम्बर, 2016 तक अस्तित्व में आ चुकी हो, को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा.''.

(4) उपनियम (1) में,—

(क) खण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाएं, अर्थात् :—

''(तीन) ऐसी अवैध कॉलोनियां, जहां कम से कम 10 प्रतिशत भवन निर्मित हों, उन्हें चिन्हित कर 30 दिवस के भीतर सार्वजनिक रूप से अधिसूचित कर नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी और शेष अबिक्रीत भूमि का प्रबन्धन, इन नियमों के नियम 15 के अनुसार किया जाएगा.

राजपत्र में इन संशोधनों के प्रकाशन की तारीख को राजस्व विभाग के अनुसार नियमितीकरण की जाने वाली अवैध कॉलोनी की भूमि / भूमियां निजी स्वामित्व में होनी चाहिए और अधिसूचना की प्रति संबंधित राजस्व अधिकारी / विकास अधिकारी / नगर तथा ग्राम निवेश विभाग को विहित समय-सीमा के भीतर आवश्यक अभिमत / अनापत्ति प्रदाय करने हेतु उपलब्ध कराई जाए. अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण की अग्रिम कार्रवाई बाधित नहीं होगी.

(ख) खण्ड (चार) में, शब्द ''मास्टर प्लान'' के स्थान पर, शब्द ''विकास योजना'' स्थापित किए जाएं.

(ग) खण्ड (पांच) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(पांच) (1) खण्ड (तीन) के अधीन जारी अधिसूचना के पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी, अवैध कॉलोनियों की मूलभूत सुविधाओं सहित विकास कार्य के लिए 30 दिनों के भीतर प्राक्कलन (इस्टीमेट) तथा अभिन्यास (ले-आउट) तैयार करवाएगा, जिन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित निवासियों तथा कॉलोनाइजर, को एक अवसर उपलब्ध कराते हुए, 15 दिनों के अन्दर बैठक आहूत कर चर्चा की जाएगी, उनके सुझावों पर विचार करने के पश्चात्, यदि कोई हों, 15 दिनों के अन्दर नियम 7 क के अनुसार प्राक्कलन तथा अभिन्यास को अंतिम रूप दिया जाएगा. अभिन्यास तैयार करने पर होने वाले व्यय की रकम, विकास प्रभार के 10 प्रतिशत से अनधिक नियत की जाएगी और उसे विकास प्रभारों में सम्मिलित किया जाएगा.

(2) इस कार्य के प्रयोजन हेतु, इन अद्यतन संशोधनों के प्रकाशन की तारीख से विभागीय आई.एस.एस.आर., मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012, विकास योजना, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् वितरण आपूर्ति कंपनी (म.प्र.रा.वि.वि.कं.) के मापदंड एवं दरें तथा कलक्टर दिशा-निर्देश नियम मान्य होंगे.

(3) नियमितीकरण के प्रयोजन से अवैध कॉलोनी के निवासियों से प्राप्त होने वाले सम्पत्ति कर, भवन अनुज्ञा फीस एवं प्रशमन शुल्क आदि की रकम संबंधित कॉलोनियों के विकास कार्यों में उपयोग की जाएगी.

(4) नगरीय निकायों द्वारा, यदि आवश्यकता हो तो, केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा पोषित योजनाओं से

योजनाओं में वर्णित निबंधनों तथा शर्तों के अधीन, इन अधिसूचित कॉलोनियों के विकास हेतु रकम प्राप्त की जा सकेगी तथा भूखण्डधारियों की अधूरे विकास कार्य के कारण संतति अथवा अनुज्ञप्ति रोकी नहीं जाएगी और यहां तक कि नियमितीकरण का कार्य विशेष रूप से भवन अनुज्ञा कार्य जोन / वार्ड में कैंप आयोजित कर निष्पादित किया जाएगा.

(घ) उपखण्ड (छह) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(छह) (1) खण्ड (तीन) के अधीन, अधिसूचित कालोनियों के रहवासियों से जन सुविधाओं जैसे जल, विद्युत तथा मल निकासी के लिए, अन्य वैध कॉलोनी की भांति, सेवा प्रभार प्राप्त करने के पश्चात् नियमित किया जाएगा. इनके लिये अतिरिक्त प्रभार प्रभारित नहीं होंगे.

(2) जिन कॉलोनियों में निम्न आय वर्ग के 70 प्रतिशत के अधिक रहवासी निवास करते हैं, वहां विकास रकम का 20 प्रतिशत कॉलोनी के रहवासियों से लिया जाएगा तथा शेष 80 प्रतिशत राशि संबंधित निकाय द्वारा वहन की जाएगी तथा इससे भिन्न कॉलोनियों में, विकास राशि का 50 प्रतिशत कॉलोनी के रहवासियों से लिया जाएगा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि संबंधित निकाय द्वारा वहन की जाएगी. जन भागीदारी योजना की राशि / सांसद निधि / विधायक निधि रहवासियों द्वारा जमा की गई रकम समझी जाएगी तथा रहवासियों से प्राप्त की गई रकम में जल, विद्युत तथा मल निकासी के कार्यों की लागत सम्मिलित नहीं होगी.

(3) यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कॉलोनी के कुल क्षेत्र के लिए तैयार किए गए अभिन्यास (ले-आउट) में, विधि के अनुसार, सार्वजनिक सुविधाओं के लिए खुली भूमि न हो, तो वह ऐसी अपेक्षित खुली भूमि की लागत का प्राक्कलन करेगा तथा कालोनाइजर से डेढ़ गुना रकम वसूल करेगा :

परन्तु यह कि भवन / भूखण्ड के नियमितीकरण करने की कार्रवाई प्रभावित नहीं होगी, यदि अपेक्षित रकम कॉलोनाईजर से वसूल नहीं होती है या वसूली में विलम्ब होता है.

(4) सक्षम प्राधिकारी नियम 15 (ग) तथा खण्ड (तीन) के उपखण्ड (छह) के अधीन अवैध कॉलोनियों का सन्निर्माण कर रहे व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगा.

(ङ) उपखण्ड (आठ ख) का लोप किया जाए.

(च) उपखण्ड (दस) में, कोष्ठक तथा अक्षर "(ग)" के स्थान पर, कोष्ठक तथा अक्षर "(ण)" स्थापित किए जाएं.

(5) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(2) यदि कोई अवैध कॉलोनी 31 दिसम्बर, 2016 के पश्चात् निर्मित की गई है तो सक्षम प्राधिकारी, उसे अवैध सन्निर्माण के रूप में उस पर विचार करते हुए हटाने की कार्रवाई करेगा.

12. नियम 15 ग के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"15 ग. **अवैध कॉलोनियों का सन्निर्माण कर रहे व्यक्तियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई.**—

अवैध कॉलोनियों का सन्निर्माण कर रहे व्यक्तियों के विरुद्ध विधि के अनुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध नियम 15 के उपनियम (1) के उपखण्ड (पांच) की मद (1) में वर्णित तारीख से वसूली की कार्यवाहियां प्रारम्भ की जाएंगी.".

Not. No. 68-F-1-30-2011-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by Section 433 read with Sections 292-A, 292-B and 292-E of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 read with Section 339-A, 339-B and 339-E of the Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Nagarpalika (Registration of Colonizers, terms and conditions) Rules, 1998, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 2, in clause (c), (d) and (h) for the words "Nagar Panchayat", the words "Nagar Parishad" shall be substituted ;

2. For rule 4, the following rule shall be substituted, namely :—

"4. **Registration and renewal fee.**—The registration fee shall be Rs. 50,000/- (Rupees Fifty thousand only) and the renewal fee shall be Rs. 25,000/- (Rupees Twenty five thousand only) which shall be deposited in the treasury of the Municipality and the receipt thereof shall have to be obtained.".

3. In rule 5, in clause (c), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that the colonizer may be registered if he submits affidavit in this regard and if he is proved to be found guilty under the above mentioned section the registration shall be cancelled.".

4. For rule 7A, the following rule shall be substituted, namely :—

"7A. **Cost of Development Work.**—The cost of internal and external development in a colony shall be calculated on the basis of prevailing rates under the integrated standard Schedule of Rates published by the Department.".

5. In rule 8, in sub-rule (2), for clauses (one), (two), (three) and (four), the following clauses shall be substituted, namely :—

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| "(one) | Municipal Corporation Area having a population of three lakh or more. | Rs. 2,50,000/- per hectare |
| (two) | Municipal Corporation Area having a population of less than three lakh. | Rs. 1,00,000/- per hectare |
| (three) | Municipality Area | Rs. 50,000/- per hectare |
| (four) | Nagar Parishad | Rs. 25,000/- per hectare.". |

6. In rule 9,—

(1) in sub-rule (1),—

(a) clause (a) shall be omitted ;

(b) in clause (b), for the word "certificate", the word "licence" shall be substituted.

(2) in sub-rule (2), for the words "forty five days" and "ninety days", the words "thirty days" and "forty five days" shall be substituted respectively.

7. In rule 10, in sub-rule (8),—

(1) in clause (i), for the figure and word "5 acre", the figure and word "2 hectare" shall be substituted.

(2) in clause (ii), for the figure and word "2.5 acre", the figure and word "1 hectare" shall be substituted.

8. In rule 12, in clause (ix), for the words "Rupees ten per square metre", the words "Rupees fifty per square metre" shall be substituted.

9. In rule 14B, in sub-rule (3), for the word "affidavit", the word "bond" shall be substituted.

10. In rule 15, after sub-rule (1), for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that action shall be ensured by the competent authority within 90 days from the date the fact of illegal colonization comes to the notice.".

11. In rule 15A,—

(1) for the figure and word "31st December, 2012", the figures and word "31st December, 2016" shall be substituted.

(2) for the word "unauthorized" wherever it occurs in this rule, the word "illegal" shall be substituted.

(3) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) Notwithstanding anything contained in these rules, the illegal colonies that came in to existence upto 31st December, 2016 on other than Government land and such land of Development Authority which is in its ownership, shall be registered subject to the following conditions.".

(4) in sub-rule (1),—

(a) for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:—

"(iii) such illegal colonies where at least 10% houses have been constructed, indentifying them, action of regularization shall be taken within 30 days notifying publicly, and management of remaining unsold land shall be done in accordance with rule 15 of these rules.

On the date of publication of these amendments in the Gazette, land(s) of illegal colonies being regularized should be in private ownership as per the revenue department and a copy of notification should be availed to the concerning Revenue Officer/Development Officer/ Town and Country Planning Department to give necessary opinion/objections within prescribed time limit, further action of regularization of illegal colonies shall not be obstructed.

(b) in clause (iv), for the words "master plan", the words "development plan" shall be substituted.

(c) for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:—

"(v) (1) After issuance of Notification under clause (iii), the competent authority shall be cause

to be prepared the estimate and layout within 30 days for the development work including for the basic amenities of illegal colonies, on which the competent authority shall be invite a meeting within 15 days and discuss with the inhabitants concerned and colonizer providing them an opportunity, after considering their suggestion, if any, finalize the estimate and layout as per rule 7A within 15 days. The amount of expenditure to be incurred for preparing the layout shall be fixed not exceeding 10% of the development charges and the same shall be included in the development charges.

(2) For the purpose of this work, the Departmental ISSR, the Madhya Pradesh Land Development Rules, 2012, Development Plan, standard and rates of the Madhya Pradesh State Electricity Supply Company (MPSESC) and Collector Guide lines rules effective on the date of publication of amendments with upto date shall be recognized.

(3) Amount of property tax, building permission fees and composition fees etc. received from the inhabitants of the illegal colonies for the purpose of regularization shall be utilized in the development works of concerning colonies.

(4) The urban bodies, if necessary may receive the amount from the schemes financed by the Central or State Government under the terms and conditions mentioned in the schemes, development of these notified colonies and issuance or permission of the plot holder shall not be stopped because of incomplete development work and even the regularization work particularly the building permission work shall be executed by organizing the camps in zone/ward levels.

(d) for sub-clause (vi), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"(vi) (1) Public facilities such as water, electricity and sewage shall be regularized after receiving the service charge from the inhabitants of colonies notified under clause (iii), like other legal colonies. No additional charges shall be charged for these.

(2) Such colonies where more than 70% inhabitants of lower income group reside, 20% of development amount shall be charged from inhabitants of the colony and remaining 80% amount shall be borne by the body concerned and other than these colonies, 50% development anount shall be taken from inhabitants of the colonies and 50% amount shall be borne by the concerned body. The amount of the public participaton scheme/fund of parliamentarian/legislature fund shall be deemed to be the amount in the amount deposited by the inhabitant and the cost of the water, sewage and electricity shall not be included in the amount received from the inhabitants.

(3) As per the law, if there is no open land for public amenities in the lay out prepared for the total area of the colony, the competent authority shall make an estimate of the cost of such required open land and recover one and half times form the colonizer:

Provided that action of regularization of building/plot shall not be affected if required amount is not recovered from colonizer or delay in recovery.

(4) The competent authority shall ensure necessary action under rule 15 (c) and sub-clause (vi) of clause (iii) against the persons constructing illegal colonies.

(e) sub-clause (viii B) shall be omitted.

(f) in sub-clause (x) for brackets and letter "(ग)" the brackets and letter (ण) shall be substituted.

(5) For sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) If any illegal colony is constructed after 31st December, 2016 the competent authority shall take action to remove it considering it as illegal construction.

12. For rule 15C, the following rule shall be substitued, namely:—

"15C. **Action to be taken against the persons constructing illegal colonies.—**

The punitive action shall be taken in accordance with the law against the persons constructing illegal colonies and recovery proceedings shall be initiated against such person from the date mentioned in item (1) of sub-clause (v) of sub-rule (1) of rule 15.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**राजीव शर्मा,** अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.